

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./एमओ-2015/2017/ 578
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/09/2017

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

जिला - बड़वानी, छतरपुर, दमोह, देवास, धार, गुना, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सीधी

सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक

जिला चिकित्सालय- दमोह, टीकमगढ़

मध्य प्रदेश

विषय : नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण।

आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल में नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये आधारभूत सह परिचयात्मक प्रशिक्षण दिया जाना है, इसके तहत दिनांक 23 अक्टूबर 2017 से दो प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ किये जाएंगे। चिकित्सा अधिकारियों को प्रशासकीय नियमों एवं प्रक्रियाओं, प्रबंधकीय दक्षता, वित्तीय प्रबंधन तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं विभागीय गतिविधियों के संबंध में 3 सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी, भोपाल में दिनांक 23 अक्टूबर से 10 नवंबर 2017 तक दिया जाएगा एवं मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य एवं बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के संबंध में दो सप्ताह का तकनीकी कौशल प्रशिक्षण दिनांक 13-25 नवम्बर 2017 तक क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर/ राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर में दिया जाएगा।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

1. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी/ क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र/ राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान के हॉस्टल में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
2. प्रशिक्षण अवधि के दौरान समस्त प्रशिक्षणार्थियों को हॉस्टल में रहना अनिवार्य है।
3. प्रशिक्षणार्थियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप समय पर उपस्थिति एवं अनुशासन का पालन अपेक्षित है।
4. प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा/दैनिक भत्तों का भुगतान शासकीय नियमानुसार उनके पदस्थापना स्थल से किया जावेगा।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उक्त अवधि में कार्य से अनुपस्थित माना जावेगा।
6. प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति लिये अनुपस्थित रहने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

7. प्रशिक्षण में केवल संचालनालय द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी, अतः नामांकित चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर अपने स्तर से किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजे।
8. प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, नामांकित अधिकारी यदि किसी विशेष कारणवश प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ हो तो इस संबंध में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति ई-मेल आईडी munshi.rakesh@gmail.com पर प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा न करने की स्थिति में प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि संबंधित चिकित्सा अधिकारी से वसूल की जाएगी।

आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की संचालक श्रीमती प्रज्ञा अवस्थी हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इससे संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में अन्य किसी भी जानकारी अथवा शिकायत/सुझाव के लिये ई-मेल आईडी jd.rcvnp@gmail.com अथवा दूरभाष नं. 0755-2445036 पर इनसे संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न - चिकित्सा अधिकारियों की नामांकन सूची।



(राकेश मुंशी)

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./एमओ-2015/2017/ 599
प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ

भोपाल; दिनांक 28/09/2017

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, कृपया नामांकित चिकित्सकों को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
8. संचालक, राज्य स्वास्थ्य प्रबंध एवं संचार संस्थान, ग्वालियर।
9. प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर।
10. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।




संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये आधारभूत सह परिचयात्मक
प्रशिक्षण कार्यक्रम

23 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2017

प्रथम बैच

S.No.	Name of Medical Officer	Place of posting	District
1	Dheeraj Bamniya	PHC, Chachariapati	Badwani
2	Radheshyam Nargawe	PHC, Julwania	Badwani
3	Neeraj Kumar Dwivedi	PHC, Gulganj	Chhatarpur
4	Anand Chaurasia	PHC, Garhi Malhara	Chhatarpur
5	Gaurav Jain	District Hospital	Damoh
6	Uma Shankar Patel	Civil Hospital, Hatta	Damoh
7	Manoj Patidar	CHC, Vijayganj Mandi	Dewas
8	Ankita Joshi	PHC, Khalghat	Dhar
9	Prayank Mandloi	CHC, Badnawar	Dhar
10	Amit Sisodiya	PHC, Bujurg (Khadan)	Dhar
11	Anil Kumar Rajput	CHC, Myana	Guna
12	Vivek Manjhi	CHC, Raghogarh	Guna
13	Sourabh Rastogi	CHC, Binaganj	Guna
14	Paritosh Soni	PHC, Badeda	Katni
15	Ekansh Rai	PHC, Slimnabad	Katni
16	Shyam Bhidoriya	PHC, Onkareshwar	Khandwa
17	William Sagar	CHC, Pandhana	Khandwa
18	Ashish Rathore	CHC Mandleshwar	Khargone
19	Rajesh Kumar	PHC Bedia Block Badwah	Khargone
20	Anurag Pandey	PHC, Umarkhali	Khargone
21	Deepak Hindal	CHC, Malhargarh	Mandsaur
22	Vijay Krishna Sura	CHC, Narayangarh	Mandsaur
23	Dinesh Sharma	PHC, Nimbod	Mandsaur
24	Akash Choudhary	PHC, Gandhisagar (No.3)	Mandsaur
25	Sonu Agrawal	CHC, Jhundpura	Morena
26	Anil Kumar Rajput	CHC, Joura	Morena
27	Gourav Sen	CHC, Raj Margh Chouraha	Narsinghpur
28	Piyush Mangria	PHC, Ravati	Ratlam
29	Nitin Kumar Shukla	PHC, Beeda	Rewa
30	Pushpendra Mishra	CHC, Hanumana	Rewa
31	Shyam Bihari Kol	Civil Hospital, Tyonthar	Rewa
32	Harshita Swarnkar	PHC, Khimlasa	Sagar
33	Basant Nema Bhatiyara	CHC, Rehli	Sagar
34	Neelam Soni	PHC, Pagar Khurd	Satna
35	Manish Kumar Mishra	PHC, Kulgarhi	Satna
36	Gyanesh Kumar Gautam	Civil Hospital, Maiher	Satna
37	Amrita Vidushi Bajaj	CHC, Doraha	Sehore
38	Himesh Pathak	PHC, Bargava	Sidhi
39	Shivam Mishra	CHC, Semria	Sidhi
40	Hemlata Bamoriya	District Hospital	Tikamgarh


संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश